फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

चुना बनाम शंकरा

किस्म मुकदमा .....225 आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....6.....सन....2023....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जों इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
13/1/23	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा मुकदमा संख्या 49/2022 बउनवान शंकरा बनाम चुना में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पंर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी में रेकॉर्डेड खातेदार है। जहां उसका रहवासी मकान भी बना हुआ है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 अपीलाण्ट के अधिकारों पर कुठाराघात करने पर तुले हुये है। उनके कब्जें में अधिक भूमि होने के बावजूद अपीलाण्ट के हिस्से की भूमि में सिंचाई हेतू विद्युत कनेक्शन प्राप्त कने में बाधक बने हुए है। प्रकरण में इन हालातो में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व क्रियान्विति स्थगित की जावे। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2022 पारित कर वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का नवनिर्माण नहीं करने एवं एक दूसरे के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करे, तथा मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ से ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश जारी करने के पश्चात आगामी तारीख पेशी ही दो माह पश्चात नियत की है, जो विधिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जबकि विधि अनुसार जहां एक पक्षीय रूप से अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है, वहां उस प्रकरण का निस्तारण 30 दिवस के भीतर किये जाने के प्रावधान है। आदेश 39 नियम 3(क) सी. पी. सी में प्रावधित किया है कि " 3-A Court to disposed application for injunction within thirty days-- Where an injunction has been granted without giving notice to the opposite party, the court shall make an endeavour to the finally dispose of the application within thirty days from the date on which injuntion was granted; and where it is	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प आलोर

unable so to do, it shall record the reason its reasons for such inability" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि, जहॉ अस्थाई निषेधाज्ञा विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना जारी की गई तो न्यायालय को 30 दिन के भीतर निपटारा किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थ है, तो असमर्थता के कारणो को अभिलेखित करना चाहिए। उक्त नियम हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है।

हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में सहखातेदार है एवं अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। यदि वादस्थ भूमि में पक्षकारो के मध्य बिना विधिक बंटवारे के किसी विशिष्ट भू भाग का बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत या मौके पर किसी विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण व खूर्द बुर्द किया जाता है तो निश्यय ही वाद–बाहुल्यता बढ़ेगी। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजी में किसी विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि व मौके पर किसी विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण नहीं करे तथा एक–दूसरे के कृषि संबंधी कार्य में दखलदांजी नहीं करे तद्नुसार सहायक कलेक्टर चितलवाना को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 49/2022 बउनवान शंकरा बनाम चुना में पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 के सम्बन्ध में उभयपक्षों को सुनकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
पाली